राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–06 / 2023 तारीख दायर :– 10.04.2023

अनवान

01. रामकन्या उर्फ कन्यादेवी पुत्री मोहन जाति भील उम्र 32 साल निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

––वादीया

बनाम

01. जग्गु पुत्र मोहन जाति भील उम्र बालीग निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया।
02. मोत्या पत्नि मोहन जाति भील उम्र बालीग निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया।
03. रामपाली पुत्री मोहन जाति भील उम्र बालीग निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया।
04. सुरेश पुत्र मोहन जाति भील उम्र बालीग निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया।
05. पुष्पचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति भील उम्र बालीग निवासी खड़ीपुरा तहसील बिजौलिया।
06. शिवलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी खड़ीपुरा तहसील बिजौलिया।
07. हरीशंकर पिता कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया।
08. श्रीमान् तहसीलदार साहब बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

-प्रतिवादीगण

–:उपस्थित :–

01. श्री सुनील कुमार जोशी .....**अधिवक्ता** वादीया
02. **श्री मुकेश धाकड़** .....**अधिवक्ता** प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – :प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 12 / 08 / 2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । उक्त प्रकरण में प्रतिवादी 05,06,07 की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने दिनांक 09.09.2024 को आदेश 7 नियम 11 जा .दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

01.यह कि उक्त अनवान का एक प्रकरण वादीया द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया जो लम्बित होकर विचाराधीन है।

लगातार पेज संख्या 02

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात की वादीया खातेदार काश्तकार होने एंव वादीया को अपनी निजी जरुरत मे रकम की आवश्यकता होने से वादीया ने उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 136/125 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 138/99 रकबा 1.2302 हैक्श्रेया किता 2 रकबा 1.2543 हैक्टेयर मे से वादीया द्वारा अपने 1/5 हिससे का विक्रय प्रतिवादी संख्या 5 को किया गया।

3. यह कि उक्त विक्रय की प्रक्रिया में वादीया के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सिपूर्व करना स्वीकार किया हैं। भूमि विक्रय की पूर्ण प्रक्रिया सब रजिस्ट्रार कार्यालय मे पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर सब रजिस्ट्रार की उपस्थिति मे विक्रेता द्वारा विक्रय एंव प्रतिफल प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति के बाद निष्पादित की जाती हैं। हस्तगत प्रकरण में भी प्रतिवादीया के हिस्से का विक्रय सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिजौलिया मे वादीया द्वारा उपस्थित होकर गवाहान की उपस्थिति मे करवाया गया है।

4. यह कि वादीया ने स्वेच्छा से पूर्ण होश हवास मे, बिना नशे पते के अपने हिस्से की भूमि वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर करवाई गई हैं एंव उसी वैध विक्रय पत्र को आधार मानकर यह वाद लाया गया हैं, इस कारण ऐसी स्थिति मे वादीया को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता हैं एंव स्वेच्छा से विक्रय पत्र निष्पादन करायो जाने के कारण वादीया को उसके आधार पर कोई वाद कारण, बिनाय दावा उत्पन्न नही होते है।

5. यह कि किसी भी विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने एंव उसकी वैधानिकता पर विचार किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायायालय को नही होने से यह प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है, वादीया जिन अभिवचनो के आधार पर वाद लेकर आई हैं उनके आधार पर उक्त वाद चलने योग्य नही होकर काबिल खारिजी के है।

06.यह कि वाद की विषय वस्तु , श्रवणाधिकार के अभाव एवं वाद हेतुक के अभाव में प्रकरण अस्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 का जवाब पेश नहीं किया एवं सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया। वादी ने बहस में पत्रावली में पेश वाद पत्र के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को दोहराया। उभयपक्ष की 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया साथ ही पत्रावली का अध्ययन किया गया दस्तावेजों का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि पाया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करने योग्य है, **अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा. दी. आज दिनांक 12.08.2025 को स्वीकार कर पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है।** आदेश खुले न्यायालय में दिनांक 12.08.2025 सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अजीत सिंह राठौड़ (RAS)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलयां